न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/83

1. प्रभू आत्मज रामनाथ जाति बैरवा निवासी धानुगॉव तहसील नैनवा ।
2. दुर्गालाल आत्मज रामनाथ जाति बैरवा निवासी धानुगॉव तहसील नैनवा ।
3. राधा बाई बेवा रामनाथ जाति बैरवा निवासी धानुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

----अपीलान

बनाम

1. सूर्य प्रकाश दत्तक रामकुंवार जाति ब्राह्मण निवासी धानुगॉव तहसील नैनवा जिल बून्दी ।
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
3. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा नैनवा ।

----रेस्पोडन्

उपस्थित :– 1. श्री विशाल सनाढ्य, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रमं 1 की ओर से

निर्णय

दिनांकः 28.06.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 एवं 92ए के अन्तर्गत एक वाद पेश किया था । उक्त वाद में प्रार्थीगण अपीलान्ट ने जवाबदावा व काउन्टर क्लेम पेश किया है ।

3. तत्पश्चात् प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर कथन किया कि ग्राम धानुगॉव तहसील नैनवा जिला बून्दी में खसरा नम्बर 554 रकबा 19 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है जिस पर बहैसियत खातेदार प्रार्थीगण काबिज काश्त चले आ रहे हैं । पूर्व में उक्त भूमि

के खातेदार प्रार्थीगण क्रम 1व 2 व प्रार्थिनी क्रम 3 के पति स्वर्गीय श्री रामनाथ आत्मज भूरा थे और उनसे पूर्व इस भूमि के खातेदार कृषक रामनाथ जी के पिता स्वर्गीय भूरा आत्मज किशना बैरवा थे । उक्त भूमि प्रार्थीगण के पूर्वजों के समय से खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है । अप्रार्थीगण का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अप्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है । अप्रार्थीगण ताकत के बल पर प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं । अप्रार्थीगण ताकतवर लोगों को उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है । प्रार्थीगण का प्रथमदृष्टया प्रकरण उनके पक्ष में है । सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति होने की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

4. अतः अप्रार्थीगण को ताफैसला इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजी से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे । प्रार्थीगण के कब्जे काश्त, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करे और न ही अन्य किसी से करावे । विकल्प में उक्त भूमि पर ताफैसला वाद व काउन्टर क्लेम रिसीवर नियुक्त किया जावे ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.09.2015 के द्वारा वादग्रस्त आराजी पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा 2000/– रूपये प्रतिवर्ष नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की शर्त पर कब्जा बनाये रखने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.09.2015 से व्यथित होकर प्रार्थीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी में दर्ज है तथा प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के सदस्य हैं । प्रार्थीगण अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा है । प्रार्थीगण अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि प्रार्थीगण अपीलान्ट कमाने खाने के लिए बाहर चले गये थे। दिनांक 07.01.2016 को वापस आये तब अधीनस्थ न्यायालय में तलाश करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई। जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई हैं । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट प्रार्थी के विरूद्ध एक दावा घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था । उस दावे में अपीलान्ट प्रार्थी ने जवाबदावा मय

काउन्टर क्लेम पेश किया था और साथ में धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें यह कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज काश्त हैं जिस पर अप्रार्थीगण ताकत के बल पर कब्जा करना चाहते हैं जिससे अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करें और विकल्प में यह भी कथन किया था कि वादग्रस्त आराजी पर रिसीवर नियुक्त किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने रिसीवर नियुक्त किया जाना उचित मानकर रिसीवर नियुक्त किया और इस पर अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने भूमि पर तुरन्त रिसीवरी नियुक्त नहीं कर भूमि पर नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने की अनुमति बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई और अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् जमा कराने नगद प्रतिभूति राशि स्वीकार कर लिया गया जो त्रुटिपूर्ण है । वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट प्रार्थी के खाते में दर्ज है । अपीलान्ट अनुसूचित जाति का सदस्य है और आराजी पर काबिज काश्त है । अपीलान्ट नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का तैयार है । रेस्पोडेन्ट का इस आराजी पर कब्जा नहीं है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति की संभावना अपीलान्ट के पक्ष में है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि दावा रेस्पोडेन्ट वादी का है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा रेस्पोडेन्ट का ही है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से नगद प्रतिभूति राशि जमा कराने का आदेश पारित किया है । वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेन्ट का निर्बाध रूप से कब्जा चला आ रहा है । जमाबन्दी में अवैध रूप से प्रार्थी का नाम दर्ज है । अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अनुसार नगद प्रतिभूति की प्रार्थना पत्र दोनों पक्षों के अधिवक्तागण ने सहमति जाहिर की है । अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में जो अंकित है उसके विपरीत कथन करने से अपीलान्ट एस्टोप्ड है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1985 पेज 63, आरआरडी 1994 पेज 326 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताए हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट ने एक दावा हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया है जिसमें अपीलान्टगण ने अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था । इस प्रार्थना पत्र में *वादग्रस्त आराजी के बाबत् अस्थायी निषेधाज्ञा एवं विकल्प में रिसीवर नियुक्त करने* की प्रार्थना की गई थी । अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में यह अंकित है कि दोनों पक्षों ने बहस के दौरान नगद प्रतिभूति के [illegible] न्यायालय ने इस सहमति के आधार पर नगद प्रतिभूति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है । यदि अपीलान्ट ऐसा महसूस करते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में जो सहमति अंकित की गई है वह सही नहीं है अथवा नगद प्रतिभूति के बाबत् उनकी सहमति नहीं थी तो उन्हें

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था । सहमति के आधार पर पारित आदेश के विरूद्ध अपील मेन्टेनेबल नहीं है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने एवं मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.09.2015 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/6/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा